ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 54-56
ISSN NO.- 2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.- 2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

वर्तमान परिदृश्य में भारतीय विवाह के बदलते स्वरूप

1. पूनम मिश्रा
2. डॉ0 कीर्ति पाण्डेय

1. शोध अध्येत्री, 2. सुपरवाइजर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ0प्र0), भारत

Received-07.01.2024, Revised-12.01.2024, Accepted-18.01.2024 E-mail: pratibhapth@gmail.com

सारांश: *विवाह ने ही परिवार तथा नातेदारी आदि संस्थाओं को जन्म दिया है। परिवार के बाहर भी यौन–सन्तुष्टि सम्भव है किन्तु एक सभ्य समाज में ऐसे सम्बन्धों को अनुचित मानता है। मानव का सामान्य रूप से जीवित रहना तथा स्वस्थ्य जीवन के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक मानी गई है इसके अभाव में अनेक मनोविकृतियाँ पैदा हो जाती है। यौन इच्छा की पूर्ति किस प्रकार की जाये यह समाज और संस्कृतियों द्वारा निर्धारित मानको व मूल्यों के अनुसार ही निर्धारित होता है। हिन्दू विवाह का उद्देश्य केवल यौन सन्तुष्टि ही नही है कभी–कभी तो यह केवल सामाजिक–सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाता है।*

विवाह दो विषम लिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक अथवा कानूनी स्वीकृति है। स्त्री–पुरूषों एवं बच्चों को विभिन्न सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं में सहभागी बनाना, सन्तानोत्पत्ति करना तथा उनका लालन–पालन एवं सामाजीकरण करना विवाह के प्रमुख कार्य है। विवाह के परिणामस्वरूप माता–पिता एंव बच्चों के बीच कई अधिकारों एवं दायित्वों का जन्म होता है।

कुंजीभूत शब्द– यौन–सन्तुष्टि, सभ्य समाज, स्वस्थ्य जीवन, मनोविकृतियाँ, हिन्दू विवाह, पारिवारिक जीवन, सामाजिक, धार्मिक।

विवाह के उद्देश्य– मरडॉक ने 250 समाजों का अध्ययन करने पर सम–समाजों में विवाह के निम्न उद्देश्यों का प्रचलन पाया–

- यौन सन्तुष्टि।
- आर्थिक सहयोग।
- सन्तानों का समाजीकरण एवं पालन इसके अतिरिक्त विवाह के उद्देश्यों को हम इस प्रकार से प्रकट कर सकते है।
- यौन इच्छाओं की पूर्ति एवं समाज में यौन क्रियाओं का नियमन करना।
- परिवार का निर्माण करना एवं नातेदारी का विस्तार करना।
- वैध सन्तान्तोपत्ति करना व समाज की निरन्तरता को बनाये रखना।
- सन्तानों का पालन एवं समाजीकरण करना।
- स्त्री–पुरूषों में आर्थिक सहयोग पैदा करना मानसिक सन्तोष प्रदान करना।
- माता–पिता एवं बच्चों में नवीन अधिकारों एवं दायित्वों को जन्म देना।
- संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित करना।
- धार्मिक सामाजिक एंव सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति करना।
- समाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

स्पष्ट है कि विवाह केवल वैयक्तिक सन्तुष्टि का साधन मात्र ही नही है, वरन् एक सामाजिक क्रिया विधि भी है, जिससे समाज की संरचना को सुदृढ़ता प्रदान की जाती है।

भारत में विवाह के प्रकार– मानव समाज के विकास के साथ–साथ विवाह के भी विभिन्न प्रकार अस्तित्व में आये है। मार्गन एवं अन्य उद्विकासवादियों की मान्यता है कि सभ्यता के अति प्राचीन काल में विवाह जैसी कोई संस्था नही थी उस समय समाज में कामाचार का प्रचलन था। धीरे–धीरे समूह विवाह प्रारम्भ हुए और विभिन्न स्तरों से गुजरने के बाद एक विवाह संस्था अस्तित्व में आयी भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ एवं विकास के विभिन्न स्तरों वाले समाज पाये जाते है। पति–पत्नी की संख्या के आधार पर भारत में पाये जाने वाले विवाहों के प्रमुख प्रकारों को हम निम्नांकित प्रकार से रेखांकित कर सकते है :

एक–विवाह, बहु विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, द्वि–पत्नी विवाह, समूह विवाह।

विवाह संस्था में परिवर्तन– परम्परागत विवाह जहाँ परिवार एवं नातेदारी संबंधों द्वारा किया जाता था वही आज इंटरनेट तथा मैरिज ब्यूरों इस कार्य को करने लगे है। अखबारों में इच्छित जीवन साथी में चाही गई विशेषताओं या गुणों के साथ आकर्षक विज्ञापन प्रकाशित कराए जाते है। आज की युवा पीढ़ी के लड़के जहां लम्बी गोरी, उच्च शिक्षित एवं खूबसूरत पत्नी की चाहत रखते है, वहीं लड़किया उच्च वेतन वाले एवं आकर्षक व्यक्ति को पसंद करती है जो भौतिक सुख–सुविधाओं से युक्त भी हो, लेकिन इन विज्ञापनों में भी जातीय विवाह अभी भी महत्वपूर्ण है परन्तु समाज में ऐसे भी लोग है जिनके लिए जातीय बंधनों में कोई रूचि नहीं है।

पहले विवाह प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऋणों से अऋण होने हेतु आवश्यक माना जाता था। महिला के लिए तो विवाह मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता था, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा ने लोगों के दृष्टिकोण को बदला है तथा आज विवाह करना कई लोग आवश्यक नही मानते है। कई युवाओं का तो यह भी दृष्टिकोण है कि विवाह कैरियर में बाधक है तथा वे अविवाहित रहना पसंद करते है, परन्तु यदि पहले कोई व्यक्ति अविवाहित रहता था जो उसे हेय दृष्टि से देखा जाता था खास कर महिला का तो बिना विवाह के रहना समाज में असंम्भव था, परन्तु अब यह एक सामान्य घटना के रूप में देखा जाने लगा है अब विवाह करना या नही करना एक व्यक्तिगत निर्णय के रूप में देखा जाने लगा है, अब समाज के प्रतिबन्ध इस मामले में पहले जैसे कठोर नहीं रहे।

विवाह संस्था में हुए परिवर्तन को निम्नलिखित क्षेत्रों में विश्लेषित किया जा सकता है :

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

- विवाह का उद्देश्य
- जीवन साथी के चयन की प्रक्रिया
- विवाह का प्रकार
- विवाह की आयु
- विवाह का संस्कार
- विवाह के निषेधों में परिवर्तन
- सामाजिक विधानों में परिवर्तन
- बच्चों को वैद्वता प्रदान करने सम्बन्धी प्रकार्य में परिवर्तन।
- दहेज प्रथा में वृद्धि।

विवाह के उद्देश्य में परिवर्तन– वर्तमान में विवाह संस्था में अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे है जिनमें से कुछ प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार है : विवाह के उद्देश्यों में परम्परागत रूप में धर्म, प्रजा और रति को महत्वपूर्ण माना जाता था। वर्तमान परिदृश्य में ये सभी धार्मिक उद्देश्य गौण हो गये है। रति (यौन इच्छा की पूर्ति) विवाह का महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया है। पुत्र प्राप्ति को ज्यादा महत्व न देते हुए पति–पत्नी 2 पुत्रियॉं होने के बाद सन्तानोत्पत्ति का विचार त्याग देते है।

विवाह का उद्देश्य अब महिलाओं के लिए भी पहले से बहुत गया है। पहले धर्म का निर्वाह विवाह का प्राथमिक उद्देश्य था लेकिन अब साहचर्य महत्वपूर्ण हो गया है। विवाह के द्वारा युवा एक ऐसा जीवन साथी की चाह कर रहा है, जो एक मित्र के रूप में रहे। इस प्रकार संवैधानिक प्रवाधानों तथा आधुनिकता के प्रभाव के कारण बहुपत्नी प्रथा इतिहास की बात हो गई है और समाज में अब एक विवाह ही ज्यादा देखने को मिल रहा है ये अलग बात है कि चोरी छुपके विवाह सम्बन्धों को आज इंटरनेट एंव मोबाईल फोन जैसी तकनीकी उपकरणों ने आसान बना दिया है।

वैवाहिक जीवन साथी के चुनाव में परिवर्तन पहले के समय में माता–पिता तथा रिश्तेदार ही लड़के–लड़की का चयन विवाह के लिए करते थे लेकिन अब इस प्रक्रिया में भी परिवर्तन आ गया है। अब लड़के–लड़किया स्वयं ही जीवन साथी चुनने लगे है इनकी भूमिका ही अब निर्णायक भूमिका बन गयी है। वर्तमान समय में विज्ञापनों और विभिन्न नेट वर्किंग साइटों के द्वारा भी विवाह निश्चित किये जा रहे है।

विवाह के प्रकार में परिवर्तन– वर्तमान में युवक–युवती परस्पर सम्पर्क करते है और दूसरे को पसंद कर विवाह कर लेते है। माता–पिता की सहमति होने पर सब कुछ ठीक से बना रहता है और असहमति होने पर पारिवारिक सम्बन्ध टूट जाते है। वर्तमान में जाति व्यवस्था के प्रतिबन्ध कमजोर होने के कारण प्रेम–विवाहों की संख्या बढ़ती जा रही है। शिक्षित युवक युवती अपनी पसंद से प्रेम विवाह करने के लिए अन्तर्जातीय विवाह कर लेते है।

हिन्दू विवाह में अनेक परिवर्तन हुए है जो परिवार तथा समाज से सम्बन्धित है। यह परिवर्तन आधुनिक परिवेश की बदलती संस्कृति तथा बदलते प्रतिमानों के कारण है। इन सभी परिवर्तनों का प्रभाव संस्कारों में भी परिवर्तन ने विवाह संस्कृति के नियमों में भी परिवर्तन को जन्म दिया है।

विवाह की आयु में परिवर्तन– वर्तमान समय में युवा शिक्षा रोजगार एवं अपने कैरियर को ज्यादा महत्व देते है जिससे विवाह की आयु में भी परिवर्तन किया है। प्रारम्भ में बाल विवाह का प्रचलन था तत्पश्चात् विवाह की आयु 18–21 वर्ष निर्धारित की गई। परन्तु अब रोजगार एवं कैरियर को ज्यादा महत्व देने के कारण विलम्ब विवाह का प्रचलन बढ़ गया है। फलस्वरूप ज्यादा समय शिक्षा व रोजगार प्राप्त करने में लगे रहने के कारण वे विवाह के विषम में नही सोचते है, परन्तु फिर भी पारिवारिक दबाव के कारण युवतीयों का विवाह तो अब भी जल्दी हो जा रहा है। आधुनिक समय में चकाचौंध की दुनिया और मौज मस्ती के साथ जीवन जीना और बढ़ती महत्वकांक्षाओं ने युवक–युवती के लिए विवाह को गौण बना दिया है।

विवाह के संस्कार में परिवर्तन– परम्परागत रूप में भारतीय समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में देखा समाज में बहुत महत्ता प्राप्त थी विवाह को जन्म जन्मान्तर का अटूट बन्धन माना जाता था, परन्तु अब कानूनी हस्तक्षेपों और अधिकारों विवाह को एक समझौता या संविदा बना दिया है। कानून द्वारा विवाह विच्छेद को भी मान्यता प्रदान कर दिया गया है। विवाह से सम्बन्धित संस्कारों में अब एक अनौपचारिकता रह गयी है। पुरोहित औपचारिक रूप से सूक्ष्म एवं कम समय में विवाह सम्पन्न करा देता है। अब विवाह पूर्ण रूप से एक स्टेट सिममबल बन गया है। लोग इसे होटलों और मैरेज हाल से भव्य समारोह के रूप में करते है और ज्यादा से ज्यादा आडम्बर और खर्च कर अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करने का एक माध्यम के रूप में देख रहे है।

विवाह से सम्बन्धित निषेधों में परिवर्तन– वर्तमान समय में अर्न्तजातीय विवाह, प्रेम विवाह को बढ़ावा मिला है जिसके फलस्वरूप विलम्ब विवाह के प्रचलन ने बाल विवाह समाप्त होने लगे है। विधवा विवाह को प्रोत्साहन मिला है। देरी से विवाह करना युवाओं में फैशन सा बनता जा रहा है। विवाह कब करना है, करना या नही करना है, यह निर्णय स्वयं युवाओं द्वारा ही लिया जा रहा है। समाज में प्रतिबन्ध इस मामले में सब पहले जैसे नही रहे, पुरूष एक से अधिक विवाह नही कर सकता है अब विवाह के मामले में महिला पुरूष दोनों को समान अधिकार दिये गये है। धर्मशास्त्रों के अनुसार, महिला को दूसरा विवाह करने का अधिकार नही दिया जाता था। वर्तमान में महिलाओं को भी विवाह करने का अधिकार है।

विधवा पुनर्विवाह में वृद्धि– विधवा पुर्नविवाह अधिनियम 1856 के द्वारा जहां कानूनी आधार पर विधवाओं में पुर्नविवाह की अनुमति प्राप्त हुई वही दूसरी तरफ उदारवादी, लोकतांत्रिक, समानतावादी मूल्यों के प्रसार में आधुनिक शिक्षा के कारण लोगों की

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

तार्किकता बढ़ने से समाज में विधवा पुर्नविवाह को अनुमति मिल रही है, जिसके फलस्वरूप समाज में विधवाओं की स्थिति पहले की तुलना में उन्नत हुई है।

अंतर्विवाह एवं बहिर्विवाह के नियमों में ह्रास– हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 ने अंतर्विवाह एवं बहिर्विवाह संबधी कई सारे प्रावधानों पर प्रभाव डाला तथा इस अधिनियम में सपिण्ड विवाह पर भले ही निषेध स्थापित किया है, लेकिन सगोत्र विवाह को मान्यता दी है इसके अतिरिक्त विशेष विवाह अधिनियम 1954 के द्वारा अंतर्जातीय विवाह को भी पूर्णतः छूट प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में न्यायालय ने भी अपने कई फैसलों में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने की बात की है तथा सरकार का भी प्रयत्न इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का है।

इस प्रकार भारतीय समाज में अंतर्विवाह एवं बहिर्विवाह की कई सारी मान्यताएं धीरे–धीरे टूट रही है हॉलाकि अर्न्तजातीय विवाह की घटनाए बढ़ रही है, लेकिन अभी भी इसका प्रतिशत काफी कम है तथा ये घटनाए मुख्यतः शहरी, शिक्षित व आर्थिक रूप से सुदृढ़ परिवारों तक ही सीमित है तथा पारस्परिक भारतीय समाज की कई घटनाए आज भी अंतर्विवाह एंव बहिर्विवाह की मान्यताओं पर काफी बल देती हुई दिखायी पड़ती है, जैसे–हाल के कुछ दिनों में हरियाणा में खाप पंचायतों का फैसला।

सामाजिक विधानों में परिवर्तन– समाज की आवश्यकताओं, समाज कल्याण एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने तथा सामाजिक नियन्त्रण हेतु समय–समय पर जो अधिनियम या कानून पारित किया जाता है उन्हे सामाजिक विधान कहा जाता है।

सामाजिक अधिनियम सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है तथा वह लोगों के विचारों, विश्वासों एवं मनोवृत्तियों में परिवर्तन का एक साधन भी है। इसके माध्यम से एक तरफ जहॉ विभिन्न सामाजिक समस्याओं तथा बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। वही दूसरी तरफ समाज के विभिन्न वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास तथा समानता स्वतन्त्रता के वातावरण को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। विवाह एवं परिवार पर इन सामाजिक विधानों का गहरा प्रभाव पड़ा है।

बच्चों को वैधता प्रदान करने सम्बन्धी प्रकार्यों– बच्चों को वैधता प्रदान करने संबंधी कार्य में विवाह अभी भी काफी महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन गोद लेने के प्रक्रिया के माध्यम से बिना विवाह किए हुए लिव–इन रिलेशन में रहने वाले प्रेमी या अविवाहित रहने वाले व्यक्ति बच्चों को वैधता प्रदान करने की कोशिश करते है। यह मुख्यतः समाज के उच्च वर्ग एवं सलेब्रेटी लोगों तक ही सीमित है।

दहेज प्रथा में वृद्धि– विवाह के समय विनिमय के रूप में दहेज की प्रथा काफी बढ़ चुकी है पहले यह सिर्फ हिन्दू धर्म तक सीमित थी, वही अब मुस्लिम धर्म में भी मेहर एव दहेज दोनों घटनाएं एक साथ दिखाई पड़ रही है। ऐसी घटनाएं शिक्षित नगरीय परिवारों में और ज्यादा देखने को मिल रही है इसके फलस्वरूप कई तरह की सामाजिक समस्याए जन्म लेती है। घरेलू, हिंसा, दहेज हत्या, पारिवारिक विघटन आदि। सरकार एवं कई सारे संगठनों ने दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कई सारे प्रयास किए।

समकालीन समाज में विवाह में अनेक परिवर्तन हो रहे है। यह परिवर्तन पति–पत्नी, परिवार तथा समाज से सम्बन्धित है। विवाह के प्रति बदलते दृष्टिकोणों को विवाह संस्था के अनेक लक्षणों को बदला है जैसे–विवाह की आयु, विवाह के उद्देश्य, प्रकार विधि –विधान, रीति–रिवाज, पति–पत्नी के अधिकार, संस्कारात्मक प्रकृति आदि। इनमें परिवर्तन होना आश्यम्भावी है, क्योंकि आज हमारी विचारधारा दृष्टिकोणों एवं संस्थाओं को कुछ कारक, जैसे–नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, संचार, यातायात के साधन, आधुनिक शिक्षा, व्यवसायिक बहुलता, तीव्र सामाजिक गतिशीलता, मीडिया, वैश्वीकरण आदि प्रभावित कर रहे है। विवाह धार्मिक संस्कार से एक सामाजिक और कानूनी समझौता बनता जा रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कपाड़िया, के0 एम0, (1966) ''मैरिज एण्ड फैमिली इन इण्डिया''।
2. सक्सेना, आर0 एन0, (1968) ''भारतीय समाज एवं सामाजिक संस्थाए''।
3. जानसन, एच0 एम0, (1954) ''सोशियोलॉजी''।
4. गुप्ता, एम0 एल0, एवं शर्मा डी0 डी0 (1986) ''भारतीय समाज एवं सामाजिक संस्थाए''।
5. ज्याणी, अनीता, (2020) ''विवाह संस्था में परिवर्तनः वर्तमान भारतीय परिदृश्य में (लेख)।

*****